पूर्व सीएम की भावुक अपील- वैभव अब आपके हवाले है

कहा- मेरी पत्नी किसी सभा में नहीं जाती, बेटे के लिए जालोर आई है

जालोर, 4 अप्रैल (का.सं.)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जालोर में मंच से भावुक अपील की। जालोर-सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी बेटे वैभव के लिए उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा- मेरी पत्नी आज तक कभी भी और कहीं भी चुनावी सभा में नहीं जाती। पहली बार बेटे के लिए जालोर में चुनावी सभा में आई है। अब हम दोनों वैभव गहलोत को आपके सुपुर्द कर रहे हैं। अब आप के ऊपर है, आप उसको कैसे कामयाब करते हो।

जालोर में गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हुई जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश की स्थिति खतरनाक है। यह वोट सिर्फ वैभव के लिए नहीं, बल्कि अंबेडकर का संविधान बचाने के लिये भी है।

जालोर-सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने गुरुवार दोपहर 12 बजे अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान उनके साथ भीनमाल विधायक समरजीत सिंह, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी रहे।

इसके बाद जालोर के आहोर रोड पर स्थित शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में बुधवार को जनसभा का आयोजन किया गया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,सहित कई नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा- राजीव गांधी की हत्या हो गई, वे देश में शांति स्थापित करना चाहते थे। अब मोदी गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी से पूछो इंदिरा गांधी व नेहरू को याद करते हो, जिन्होंने आजादी के बाद से देश का ढांचा खड़ा कर दिया। इतनी तो परंपरा निभानी चाहिए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या। जालोर-सिरोही के भविष्य के लिए आपको वोट करना है।

फायर कर गिराए ड्रोन से 10 करोड़ की हेरोइन मिली

बीएसएफ के जवान तस्करों की तलाश में जुटे, पौने दो किलो है हेरोइन का वजन

श्रीगंगानगर, 4 अप्रैल (का.सं.)। हेरोइन ले जा रहे ड्रोन को बीएसएफ ने फायर कर गिरा दिया। ड्रोन से दो पैकिट में पौने दो किलो हेरोइन मिली है। जिसकी बाजार में कीमत लगभग दस करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह मामला अनूपगढ़ जिले के रायसिंहनगर इलाके के गांव चालीस पीएस का है। बीएसएफ के जवान हेरोइन तस्करों की तलाश में जुटे हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन कहां से उड़ाया गया और कहां जा रहा था।

सुबह साढ़े सात बजे दिखा ड्रोन

गुरुवार सुबह साढ़े सात बजे बीएसएफ को आसमान में एक ड्रोन नजर आया। इस पर जवान अलर्ट हुए और ड्रोन की दिशा में फायर करने लगे। इस दौरान एक फायर में ही ड्रोन गिर गया। बाद में जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिसमें लगभग ढाई घंटे बाद अगल-अलग पैकिट में करीब पौने दो किलो हेरोइन मिली। जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ बताई जा रही है।

बीएसएफ तस्करों की तलाश में चला रही सर्च ऑपरेशन

बीएसएफ के अधिकृत सूत्रों ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इलाके में दो पैकेट में हेरोइन मिली है। इसका वजन करीब पौने दो किलो है। इलाके में एक ड्रोन का मलबा मिला है। हेरोइन लेने आए तस्करों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

इलाके में समय-समय पर मिलती रही है हेरोइन

बार्डर एरिया में हेरोइन मिलने के बाद बीएसएफ अलर्ट हो गई है। घटना के बाद से भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हेरोइन मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीएसएफ के सामने ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। जिस पर बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी क्षेत्र में इस साल 12 मार्च को गांव दौलतपुरा में छह पैकेट हेरोइन मिली थी। जबकि पिछले साल एक अक्टूबर को भी अनूपगढ़ जिले के घड़साना इलाके में ड्रोन से हेरोइन और हथियार गिराने का मामला सामने आया था।

जिला कलेक्टर,आयुक्त को निरंकारी मिशन का साहित्य किया भेंट

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

गंगापुर सिटी, 4 अप्रैल (का.सं.)। संत

निरंकारी मंडल के तत्वाधान में गुरुवार को गंगापुर सिटी ब्रांच की प्रबंधक विदुषी मुखी बहन पुष्पा रानी ने एवं ज्ञान प्रचारक डॉक्टर समीर विश्वास व कोटा से आए प्रचारक राजकुमार निरंकारी ने जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी, नगर परिषद आयुक्त श्रीमती रिंकल गुप्ता व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को संत निरंकारी मिशन का साहित्य भेंट किया व सत्संग कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया।

सपना लखवानी मीडिया सहायक ब्रांच गंगापुर सिटी ने बताया कि गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर डॉ गौरव सैनी जी ने कहा कि निरंकारी मिशन प्यार नम्रता करुणा सहनशीलता दया धर्म भाईचारे का मिशन है आज एक ओर संसार में देखा जाता है फिजूल की बातों में टाइम गवा देते हैं वहीं संत निरंकारी मिशन का संदेश हैकि हर एक मनुष्य को नेकी के कार्य करते हुए घर परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारियो के साथ सेवाएं करते हुए प्रभु परमात्मा निरंकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है ।

आयुक्त श्रीमती रिंकल गुप्ता ने कहा ईश्वर भी भाव का भूखा होता है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश विदेश में सुकून का संदेश दे रहे हैं इस अवसर पर गंगापुर सिटी ब्रांच की प्रबंधक विदुषी मुखी बहन पुष्पा रानी ने एवं ज्ञान प्रचारक डॉक्टर समीर विश्वास व कोटा से आए प्रचारक राजकुमार निरंकारी ने कहा मिशन का संदेश एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ आज 83 देश में सत्संग कार्यक्रम होता है जहां सेवा सिमरन सत्संग का संदेश दिया जाता है।

भाजपा कार्यकर्ताओ की बैठक सम्पन्न, स्थापना दिवस पर हर बूथ के घरो पर लगेगा भाजपा का झंडा व स्टीकर

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

फुलेरा, 4 अप्रैल (राजकुमार देवाल)। नगर भाजपा मण्डल बूथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओ की बैठक कस्बे के गणगोरी बाजार स्थित रामद्वारा धर्मशाला मे पुर्व मण्डल अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन की अध्यक्षता मे आयोजित हुई ।बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोज आहुजा, रतन राजोरा,पार्षद त्रिलोक चन्द भाटी तथा विशिष्ट अतिथि आलोक तिवारी ,महेश सहाय गोड थे । मण्डल मिडिया प्रभारी राजकुमार कुमार देवाल ने बताया कि बैठक मे आगामी लोक सभा चुनाव मे भाजपा प्रत्यासी राव राजेंद्र सिंह को भारी मतो से विजयी बनाने हेतु पार्टी कार्यकर्ता भाजपा स्थापना दिवस पर घर घर जाकर मै हुं मोदी का परिवार संदेश देकर बूथ मजबूत करने का कार्य की शुरुआत करेंग । तथा भारतीय जनता पार्टी के टिफिन बैठक कार्यक्रम का आयोजन सभी बूथ स्तर पर दिनांक 5 अप्रैल को किया जाना तय हुआ हैं, जिसमे वर्तमान व पूर्व जिला पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष, मण्डल कार्यकारिणी, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, शक्ति प्रमुख,बूथ अध्यक्ष तथा सरपंच गण अपने- अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे ।बैठक मे गिरधारी सिंह शेखावत, मोहित कारडिया, राजेंद्र वर्मा, निशान्त शर्मा,मनीष गगरानी, दिलीप सुरोलिया,गोविंद सिंह बडगुजर, मुकेश गेनोलिया, संजय वार्ष्णेय, नेमीचन्द गुजर, ताराचन्द सैनी, मोहन सिंह तंवर विकास कुमार शर्मा ,कमल शर्मा, रवि ढिक्या, रिद्धकरण वर्मा हितेष सिंह,राजकुमार वर्मा, महेश सौनी,महावीर बैनाडा, श्यामलाल सैनी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

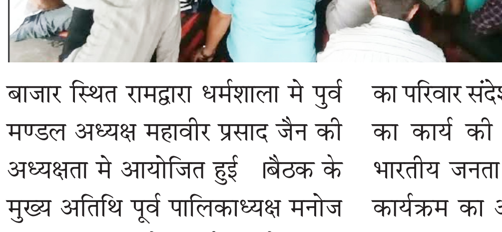

नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे समर्पण करने वाले नौ सोमालियाई समुद्री डाकू

अपहृत ईरानी जहाज एमवी अल कंबर को नौसेना ने सोमालियाई डाकुओं से छुड़ाया था

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। पूर्वी सोमालिया में ईरानी जहाज एफवी अल कंबर को अपहृत करने वाले सभी नौ समुद्री लुटेरों को पश्चिमी तट पर लाकर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अरब सागर में यह घटना 29 मार्च को हुई थी, जिसमें भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोकने के साथ ही 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। बुधवार देररात मुंबई लाए गए इन सोमालियाई लुटेरों के विरुद्ध अब आगे की कार्रवाई समुद्री कानून के तहत की जाएगी।

भारतीय नौसेना को 28 मार्च की देरशाम ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज (एफवी) अल-कंबर 786 को अरब सागर में अपहृत किए जाने की सूचना मिली थी। समुद्री डकैती का इनपुट मिलने पर नौसेना ने समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए अरब सागर में तैनात अपने दो जहाजों आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस सुमेधा को अपहृत एफवी को रोकने के लिए डायवर्ट कर दिया। समुद्री डकैती रोधी अभियानों के दौरान भारतीय नौसेना के जहाजों और मरीन कमांडो ने 29 मार्च को एफवी अल कंबर में सवार नौ समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लगभग 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद चालक दल के 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया गया।

इसके बाद नौसेना की विशेषज्ञ टीमों ने एफवी की स्वच्छता और समुद्री योग्यता की जांच पूरी की। यमन के पास सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाए गए चालक दल के 23 पाकिस्तानी सदस्यों ने भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा किया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए।

समुद्री डकैती रोधी अधिनियम-2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए सभी नौ समुद्री लुटेरों को आईएनएस त्रिशूल से देर रात मुंबई लाकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

बहराइच (उप्र), 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला ने बताया कि नवंबर 2014 में हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ प्रमोद नामक युवक ने दुष्कर्म किया था।

घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने आरोपी से नाराजगी जताई तो आरोपी प्रमोद, प्रमोद के पिता लेखराम व हरीराम ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने हरदी थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) दुष्कर्म व 506 जान से मारने की धमकी तथा पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो वरुण मोहित निगम ने मुख्य अभियुक्त प्रमोद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा जान से मारने की धमकी के जुर्म में अभियुक्त प्रमोद के पिता लेखराम और उसके एक अन्य साथी हरीराम को एक-एक साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सुबह-सुबह कांग्रेस से इस्तीफा दिया गौरव वल्लभ ने, दोपहर में थामा भाजपा का दामन

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बृहस्पतिवार को सुबह-सुबह पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर दोपहर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। वल्लभ के अलावा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

वल्लभ ने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते तथा 'वेल्थ क्रिएटर्स' (पूंजी का सृजन करने वालों) को गाली नहीं दे सकते। वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा त्यागपत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। वल्लभ कई महीनों से पार्टी की ओर से टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। वल्लभ ने त्यागपत्र में यह दावा भी किया कि वर्तमान में आर्थिक मामलों पर कांग्रेस का रुख हमेशा वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने वाला रहा है तथा देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नजरिया नकारात्मक रहा है।

मेरे इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया: निरुपम

मुंबई, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अपने निष्कासन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर बृहस्पतिवार को कटाक्ष करते हुए दावा किया कि पार्टी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद उन्हें निष्कासित किया गया।

अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार देर शाम निरुपम को तत्काल प्रभाव से छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख निरुपम ने बृहस्पतिवार को सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, ऐसा लगता है कि पार्टी ने कल रात मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद मेरे निष्कासन का निर्णय ले लिया। ऐसी तत्परता देखकर अच्छा लगा। खरगे को लिखे पत्र में निरुपम ने कहा, 'मैंने आखिरकार आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छा को पूरा करने का फैसला किया है और मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया है।'

बिहार में प्रधानमंत्री बताएं कि जाति सर्वेक्षण के बारे में क्या सोचते हैं: कांग्रेस

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (वेब वार्ता)। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की, बिहार के जमुई में होने वाली जनसभा से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वह बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई में हैं। वह अपने दुष्प्रचार से भरे भाषण में तो इनका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर बिहार के लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बात करें।'

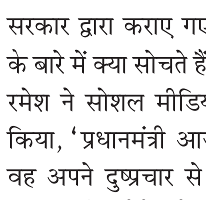

उन्होंने कहा कि बिहार 2006 में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम को समाप्त करने वाला पहला राज्य था, लेकिन यह फैसला विफल साबित हुआ। उन्होंने कहा, 'इस निर्णय की विफलता के बावजूद, मोदी सरकार ने पहले तीन काले कृषि कानूनों के माध्यम से देश भर में एपीएमसी को खत्म करने का प्रयास किया, और अब वे किसानों को एमएसपी की गारंटी से वंचित कर रहे हैं।'

एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

ART HOUSING FINANCE Own your dreams

पंजीकृत कार्यालयः 107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
कार्यालयः 49, उद्योग विहार, फेस-4, गुरुग्राम, हरियाणा - 122015

सार्वजनिक सूचना द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 (**"अधिनियम"**) के तहत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री, सुरक्षा हित अधिनियम, 2022 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ी जाती है। सूचना इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि **एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13 के तहत जारी की गई मांग के अनुसार उल्लिखित निम्नलिखित संपत्ति(यों) का भौतिक कब्जा ले लिया है। अधिनियम (2) में ऋण खाता संख्या **LNJP206922 – 230008318** को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के बकाया और ब्याज की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है और जो है जैसा है"** के आधार पर बेचने का अधिकार है और बकाया चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी प्रदत्त धारा 13(4) की शक्ति का प्रयोग करता है। उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम का उद्देश्य उक्त संपत्ति(ओं) की बिक्री से कंपनी की बकाया राशि की वसूली करना है। नीचे उल्लिखित संपत्ति की बिक्री वेब पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी: **https://www.bankeauctions.com**

ऋण खाता धारकों का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	राशि अनुसार एफसीएल और मांग नोटिस की तारीख	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि और समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
क) हनुमान प्रसाद (उधारकर्ता) ख) रजनी देवी (सह-उधारकर्ता)	संपत्ति माप (माप 299.26 वर्ग गज) प्लॉट नंबर 205, खसरा नंबर 865/1, 866, 867, 946/1, 946/2, 946/1044, 946/1045, स्कीम दादू नगर बिचून रोड फुलेरा जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है।	रू. 32,02,260/- 04.01.2024 तक मांग सूचना दिः 06.01.2024	रू.32,50,000/- रू.3,25,000/- रू.10,000/-	06.05.2024 को दिन के 11 बजे से 02:00 अपराह्न तक	04.05.2024 को 05:00 अपराह्न तक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण -
श्री मनोज कुमार पाल, मोबाइल नंबर 8130908211, ईमेल आईडीः manoj.pal@arthfc.com

नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी वेब पोर्टलः **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से लॉग इन आई डी और पासवर्ड डालकर जमा करनी होगी (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम का पंजीयन करके निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। ईएमडी निम्नलिखित खाते में **एनईएफटी/आरटीजीएस** के माध्यम से देय होगी। **50200049383517 आईएफएससी कोडः HDFC0000273, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथि को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले**। कृपया ध्यान दें कि चेक ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2. हालाँकि, कंपनी किसी भी बकाया/कर बकाया, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को बाधाओं, संपत्ति के शीर्षक के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और स्वयं का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई तारीख और समय के अनुसार ही संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स **C1 India Private Limited** हेल्पलाइन नंबरों **124-4302020/21/22/23, 7291981124 / 1125 / 1126** से संपर्क कर सकते हैं, **श्री मन्नुरबालाजी गोविंदराजन**, ईमेलः **delhi@c1india.com** **संपर्क नंबर +91 7977701080** और संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए कार्यालय समय में ऊपर बताए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कार्य दिवसों के दौरान (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)। 4. उच्चतम बोली प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी प्रस्ताव/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए **https://www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

ऋणी/सह-ऋणीयों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 05.04.2024
स्थान : जयपुर, (राजस्थान)

अधिकृत अधिकारी
एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

एल&टी फायनांस लिमिटेड
(पहले एल&टी फायनांस होल्डिंग्स लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: एल&टी फायनांस लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सीडीज शोरूम के पास, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई 400 098
सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833
शाखा कार्यालय: जयपुर

L&T Finance

गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एल&टी फायनांस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोगांतर्गत अपनी बकाया राशियों एवं आगामी ब्याज, प्रभारों, शुल्कों एवं व्ययों आदि की वसूली हेतु **''सार्वजनिक निलामी''** के माध्यम से **''जहाँ है''** और **''जैसी स्थिति में है''** आधार पर निम्नांकित संपत्ति की नीलामी की जा रही है.

कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम	सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का पता	लोन अकाउंट नंबर	लिया गया भौतिक कब्जा	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आरपी का 10% या अधिक (₹ में)	01.04.2024 के अनुसार कुल बकाया राशि (₹ में)	आरक्षित मूल्य (₹ में)	निरीक्षण का दिनांक	नीलामी का दिनांक और समय
1. सत्य नारायण अग्रवाल 2. मोहित अग्रवाल 3. नीता अग्रवाल	संपत्ति का सारा हिस्सा और खंड जिसका पता है - फ्लैट नंबर जी-1, क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग फुट, तल मंजिल, प्लॉट नंबर बी-24 (पूर्वी भाग), स्वेज फार्म में रूप विहार, जयपुर, राजस्थान 302019 संपूर्ण भूमि की सीमाएँ: पूर्व - प्लॉट नंबर बी-15; पश्चिम - सड़क; उत्तर - प्लॉट नंबर बी-25; दक्षिण - प्लॉट नं. बी-23	H175001801211140 18 एवं H175001801211140 18L	6 अक्टूबर 2023	₹ 3,22,453.10	₹ 2,04,89,893.37	₹ 32,24,531	19.04.2024	25.04.2024 सु. 10 से शाम 5:30 बजे
	संपत्ति का सारा हिस्सा और खंड जिसका पता है - फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल, क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग फुट, प्लॉट नंबर बी -24 (पूर्वी भाग), स्वेज फार्म में रूप विहार, जयपुर, राजस्थान 302019 संपूर्ण भूमि की सीमाएँ: पूर्व - प्लॉट नंबर बी-15; पश्चिम - सड़क; उत्तर - प्लॉट नंबर बी-25; दक्षिण - प्लॉट नं. बी-23	H175001801211140 18 एवं H175001801211140 18L	6 अक्टूबर 2023	₹ 2,58,412.50	₹ 2,04,89,893.37	₹ 25,84,125	19.04.2024	25.04.2024 सु. 10 से शाम 5:30 बजे
	संपत्ति का सारा हिस्सा और खंड जिसका पता है - फ्लैट नंबर 201, क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग फुट, दूसरी मंजिल , प्लॉट नंबर बी -24 (पूर्वी भाग), स्वेज फार्म में रूप विहार, जयपुर, राजस्थान 302019 संपूर्ण भूमि की सीमाएँ: पूर्व - प्लॉट नंबर बी-15; पश्चिम - सड़क; उत्तर - प्लॉट नंबर बी-25; दक्षिण - प्लॉट नं. बी-23	H175001801211140 18 एवं H175001801211140 18L	6 अक्टूबर 2023	₹ 2,58,412.50	₹ 2,04,89,893.37	₹ 25,84,125	19.04.2024	25.04.2024 सु. 10 से शाम 5:30 बजे

सार्वजनिक निलामी के नियम व शर्तें

1. एसएआरएफएईएसआई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ई-नीलामी मोड की सहायता से और के जरिए ई-नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.E-auctiontiger.net के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
2. यह सार्वजनिक ई-नीलामी उपरोक्त तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति **''जहाँ है'' और ''जैसी स्थिति में है'' आधार पर बेची जाएगी.**
3. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इसकी मंशा रखने वाले क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को **24/04/2024** को या उससे पहले पेनकार्ड, कंपनी होने की स्थिति में मंडल संकल्पों और पते के प्रमाण की प्रतियों के साथ इन सुरक्षित संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना धनराशि जमा के भुगतान के विवरण जमा करने होंगे.
4. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ईएमडी को सार्वजनिक ई-नीलामी के समापन के 7 दिन के भीतर एलटीएफ द्वारा वापस कर दिया जाएगा. इस ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
5. सफल क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) भाग **25/04/2024** को यानी ई-नीलामी के दिन शाम 18.00 बजे या उससे पहले या उसके अगले कार्यदिवस यानी **26/04/2024** को जयपुर में देय ''एल&टी फायनांस लिमिटेड'' के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, जिस जमा की पुष्टि एल&टी फायनांस लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर विक्रय को असफल माना जाएगा और उक्त सफल बोलीकर्ता की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा. शेष राशि यानी क्रय राशि का 75% भाग क्रेता द्वारा एल&टी फायनांस लिमिटेड को अचल संपत्ति के विक्रय की पुष्टि होने के पंद्रह दिन या उससे पहले या कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी विस्तारित अवधि में देय होगा.
6. संपत्ति के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, प्रत्याशित बोलीकर्ता अधिकृत अधिकारी, यानी **''नाम - दीपक तिवारी, संपर्क नं. 9717215553, एल&टी फायनांस लिमिटेड, 5वीं मंजिल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 और संतोष तिवारी, संपर्क नं. 9920490126, एल&टी फायनांस लिमिटेड, ऑफिसः 6वीं मंजिल, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना सीएसटी रोड, मर्सिडीज शोरूम के पास, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई-400098''** ई-नीलामी की किसी भी अवस्था में, अधिकृत अधिकारी द्वारा कोई कारण बताए बिना या इसकी कोई पूर्व सूचना दिए बिना ई-नीलामी को स्थगित किया जा सकता है या बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तित/निरस्त किया जा सकता है.
7. सफल क्रेता/बोलीकर्ता को ऐसे कोई भी वैधानिक शुल्क, कर, देय प्रभार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि वहन करना होगा, जो लागू कानूनों के अनुसार संपत्ति को उसके पक्ष में सौंपने/प्रदान करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता हो.
8. ऋणी/गारंटर, जो उक्त बकाया राशियों के लिए देनदार हैं, द्वारा उपरोक्त सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय के धारण के बारे में प्रतिभूति हित (प्रभावीकरण) नियम के नियम 8 (6) के अंतर्गत एक सूचना के रूप में इस विक्रय सूचना को लिया जाएगा.
9. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर को एतद्द्वारा उक्त ई-नीलामी दिनांक से पहले ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार संपूर्ण बकाया लोन राशि अदा करने का आवाहन किया जाता है जिसमें विफल रहने पर एल&टी फायनांस लिमिटेड एसएआरएफएईएसआई में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को बेच देगी.
10. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर और जन सामान्य को एतद्द्वारा एल&टी फायनांस लिमिटेड की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना सूचना में संदर्भित सिक्योर्ड संपत्तियों की बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी तरीके से अंतरित करने से निषिद्ध किया जा रहा है.

दिनांक: 05.04.2024
स्थान: जयपुर

कृते/-
प्राधिकृत अधिकारी
एल&टी फायनांस लिमिटेड के लिए

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आँशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: **yuvrajsinghh@gmail.com**